

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 2021/203/2021 रजिस्ट्रेशन नं० 2021/492 प्रवेश तिथि 24/11/2021 निर्णय दिनांक 17.11.2022

1. Panjab National Bank, Housing Finance Ltd. SB-59, UDB Towers, 1<sup>st</sup> Floor, Tonk Rd, Opp. Jaipur Nagar Nigam Jaipur, Rajasthan-302015

—प्रार्थी

बनाम

1. Mr. Vivek Kumar Pnadey S/o Sh. Manroop Singh & Others, F-71, 1<sup>st</sup> Floor Shubhaashre, Vill. Ishroda Tijara, Alwar (Rajasthan) 344708
2. Smt. Pratibha Pandey W/o Vivek Kumar Pandey, Plot No 4-N, Bhiwadi (Rajasthan)

Also At:- F-71, 1<sup>st</sup> Floor Shubhaashre, Vill. Ishroda Tijara, Alwar (Rajasthan) 344708

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को अनुबन्ध संख्या HOU/BHI/0317/360779 दिनांक 23.03.2017 को 11,40,572/-रुपये (Rupees Eleven Lakh Fourty Thousand Five Hundred Seventy Two Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 14.11.2019 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 8,88,998.06 /-(Rupees Eight Lakh Eighty Eight Thousand Nine Hundred Ninety Eight Rupees & Six Paise Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति "प्रतिभा पाण्डे पत्नी श्री विवेक कुमार पाण्डे को विक्रय पत्र पता एफ-71, 1<sup>st</sup> फ्लोर शुभाशरे, खसरा नं० 1602, 162/2171, 1607, 1608, 1631, 2356/1596, 2355/1595, 1599 ग्राम इशरोदा, तिजारा जिला अलवर, राजस्थान-344708 जो कि जिसकी चतुर्थ सीमाएं— उत्तर में युनिट संख्या 72(ग्राउण्ड फ्लोर एवं 1<sup>st</sup> फ्लोर) दक्षिण में पार्क, पूर्व में रोड़-30 एवं पश्चिम में अन्य प्रॉपर्टी है, को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.11.2019 नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त "प्रतिभा पाण्डे पत्नी श्री विवेक कुमार पाण्डे को विक्रय पत्र पता एफ-71, 1<sup>st</sup> फ्लोर शुभाशरे, खसरा नं० 1602, 162/2171, 1607, 1608, 1631, 2356/1596, 2355/1595, 1599 ग्राम इशरोदा, तिजारा जिला अलवर, राजस्थान-344708 जो कि जिसकी चतुर्थ सीमाएं— उत्तर में युनिट संख्या 72(ग्राउण्ड फ्लोर एवं 1<sup>st</sup> फ्लोर) दक्षिण में पार्क, पूर्व में रोड़-30 एवं पश्चिम में अन्य प्रॉपर्टी है,

जिला मजिस्ट्रेट  
अलवर (राज)

को दिनांक 30.10.2019 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।



(डॉ०जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर